एन्डेसा के सामान्य प्रबंधन और ट्रेड युनियन प्रतिनिधियों के बीच आंतरराष्ट्रीय स्तर पर संधिपत्र लागूकरण वार्ता

मॅडरिड, 25 जनवरी, 2002

व्यक्तियों की सभा

एक ओर,

रोडोल्फो मार्टिन विल्ला और राफाएल

मिरांडा रॅाबरेडो, कानूनी तौर पर उम्र वाले राष्ट्रीय पहचान दस्तावेज धारक

क्रमांक क्रमशः 09/580/318 जे और एन 13045173 एक्स

और दूसरी ओर,

जोसु फ्रेड ओड्रिओजोला, इग्नेशियो फर्नानडिज टोक्सो और फ्रेडरिक आर हिग्स, कानूनी तौर पर उम्रवाले, राष्ट्रीय पहचान दस्तावेज धारक

क्रमशः 14.863.638ए और 32.603.993 और ब्रिटिश पासपोर्ट आर 14.459.206।

हस्ताक्षरकर्ता

रोडोल्फो मार्टिन विल्ला और रफाएल मिरिन्डा रोबलेडो एन्डेसा, एस.ए की ओर से कार्य कर रहे है और उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय मॅडरिड, कॅलेडे वर्गरा 187 में है और वे तथाकथित संस्था के क्रमशः बोर्ड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।

जोसु फ्रेड ओड्रिओजोला, फेडरेशन डे इडस्ट्रियल एफाइन्स डे यूजीटी के लिये उसके सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे हैं (अब से ''यूजीटी'' जाने जाएंगे)।

इग्नेशियो फर्नानडिज टोक्सो, फेडरेशन मिनरोमेटा लर्जिकेड सीसी ओओ के लिये उसके जनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं (अब वे ''सीसी ओओ जाने जाएँगे)

फ्रेडरिक आर हिग्स, इंटरनैशनल फेडरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी, माइन और जनरल वर्कर्स यूनियन के लिये उसके जनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं (अब वे ''आयसीईएम'' जाने जाएँगे)

जबकि

सर्वप्रथम, यूजीटी और सीसी ओओ अधिकांश ट्रेड युनियन की स्पेन के एन्डेसा में प्रस्तुती के साथ समझौता करते हैं, दोनों पक्षों ने उनकी संवाददाता के रूप में आपसी हैसियत को किसी भी करारनामा और समझौते के सुलह के लिये तस्दीक करते हैं जो समस्त उद्योगों के लिये स्वीकृत किए जाते हैं, जो 29 दिसंबर 1999 को हस्तातंरित करारनामें की शर्तों के अंतर्गत हैं।

दूसरी बात, आयसीईएम का कथन है कि यह अधिकांश ट्रेड यूनियनों को एक साथ जोडती है जो आंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एन्डेसा के कामगारों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

तीसरी बात, दोनो पक्ष पूरी तरह से सामान्य हितों के अस्तित्व पर सहमति जताते हैं जिन्हें, संक्षेप में, उन्नति के लिये आवश्यकताओं को उपयोगिता में कहा जा सकता है, और एन्डेसा ग्रुप के प्रतियोगी और अधिक सफलता के लिये भी जो सभी ग्रुप के कामगारों के लिये सम्मानजनक कार्य स्थितियों के साथ तालमेल रखता है।

चौथी बात, दोनों पक्ष यह सहमति जताते हैं कि ट्रेड यूनियन डायलॉग और एन्डेसा में किए गए कोई भी भविष्य के समझौतों को, चर्चा की भावना और आपसी समझदारी के साथ लागू किया जाना चाहिये और उनसे उपर लिखे सामान्य रूचि (हित) ही प्रगट होना चाहिये।

यह स्वीकृत किया जाता है

प्रथम, कि वर्तमान संधिपत्र के बुनियादी नियमों के रूप में दोनो पक्ष यह स्वीकार करते हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक पैमाने और विशेषकर ट्रेड यूनियन की स्वतंत्रता और संगठन के अधिकार और मानव अधिकारों के विषय अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर आयएलओ के अनुबंध, पैमानों या मापदंडों के कडाई से पालन और सुरक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार उठाए जानेवाले कदम, पेशे से संबंधित उठनेवाले नुकसान की रोकथाम और स्वास्थ, कामगारों के पेशे संबंधित प्रशिक्षण को योग्यता साधन के रूप में देखना. जो दोनों पक्षों के लिये लाभदायक हों, उच्च गुणवत्ता की सेवा प्रदान करने का समर्पण, और एन्डेसा के विस्तार की योजनाओं का समर्थन जो उसकी गतिविधियों को समर्थ बनाती हैं और रोजगार बढ़ाती है।

दूसरी बात, बातचीत और एन्डेसा में उच्चस्तरीय अंतरराष्ट्रीय ट्रेड यूनियन परामर्श हेतु चर्चा के माध्यम की स्थापना करना जो दोनों पक्षों के बीच संबंधित जानकारियों को हासिल करने का प्रभावी साधन होगा।

तीसरी बात, कि वर्ष में कम से कम एक बार या जब भी जरूरत पडे मुद्दों से संबंधित आवश्यक चर्चा के लिये आयसीईएम प्रतिनिधि किसी एक सभा में भाग लेगा जो 'जनरल मैनेजमेंट ऑफ एन्डेसा और ट्रेड यूनियन रीप्रेसेन्टेशन के बीच दिनांक 25/10/2000 के करारनामें में ठहराया गया है, जिसमें तथाकथित करारनामें के लिये दिए गए प्रश्न अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से सुलझाए जाएंगे।

चौथी बात, कि पिछले करारनामा में जो कुछ ठहराया गया है, उसके अलावा जब भी संबंधित मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता पडेगी और हर हाल में कम से कम 6 माह में एक बार, एन्डेसा की कॉरपोरेट हयूमन रिसोर्सेस मॅनेजमेंट हस्ताक्षरकर्ता ट्रेड यूनियनों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन करेगी और यह कि स्पेन को छोड़कर जहाँ एन्डेसा नियंत्रित कंपनियाँ है, बाकी प्रत्येक देश के आयसीईएम के एक एक प्रतिनिधि इस सभा में शामिल होंगे।

4.1 इस प्रकार की सभा का बुनियादी उद्देश्य श्रम के क्षेत्र में अत्याधिक संबंधित घटनाओं का विश्लेषण और जानकारियों का आदान–प्रदान होगा, और अल्पकालीन और मध्यमकालीन दृष्टिकोण और विशेषकर रोजगार के विकास से संबंधित बातें. इसके अलावा दोनो पक्ष बुनियादी लक्ष्यों और सिद्धांतो की प्राप्ति के लिये सहमत होंगे और पहल करेंगे जो वर्तमान करारनामा को प्रेरित करते हैं, जिसमें आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में सम्मिलित होना शामिल है जो संयुक्त रूप से स्वीकृत सिद्धांतो के अनुरूप हैं। ऐसा करते हुए दोनो पक्ष इसे आचारसंहिता तैयार करने हेतु प्राथमिकता का विषय मानते हैं जो कहे गए सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

4.2 चर्चा के उद्देश्य और परामर्श प्रदान करने हेतु जो सभाओं को सुचारू बनाते हैं, ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधी इन सभाओं में उन अधिकारियों के साथ शामिल होंगे जो यह गारंटी दे सकते है कि मुद्दों को पर्याप्त तरीके से सुलझाया जा रहा है।

4.3 सभाओं को प्रभावी बनाने हेतु सहायता प्रदान करने के लिये, एन्डेसा उन लोगों को जो इन सभाओं में सम्मिलित होते हैं संचार प्रणाली उपलब्ध कराएगी जो उन्हें आपस में संपर्क बनाए रखने में सहायता प्रदान करेगा और उनके साथ भी जिन्होंने इस विद्यमान करारनामें पर हस्ताक्षर किया है। उसी प्रकार एन्डेसा तथाकथित सभा के आयोजन और सहभागिता के योग्य खर्च का वहन करेगी और हस्ताक्षरकर्ताओं की सहमति से सभा का स्थान निर्धारित करेगी।

4.4 सभा का एजेन्डा एन्डेसा प्रबंधन के द्वारा सम्मिलित होनेवालों को समय से पहले ही उपलब्ध कराया जाएगा।

पाँचवी बात, कि वर्तमान करारनामें की सुरक्षा के अंतर्गत पक्षों द्वारा आदान–प्रदान किए जानेवाले संपर्क और जानकारियां स्थानीय स्तर के श्रमिक संबंधों में न बदलाव करेंगे और न ही दखल देंगे।

छठवी बात, प्रबंधन द्वारा इन सभाओं में दी गई जानकारियों को उनके द्वारा प्रतिबंधित और गोपनीय घोषित किया जाएगा, जब भी प्रतिस्पर्धकों और सामान्य जनता को उसका खुलासा होने पर संस्था/उद्योग के आर्थिक हित और व्यवसायिक योजनाओं के लिये हानिकारक सिद्ध होगा।

इन मामलों में, सम्मिलित होनेवाले लोग चर्चा किए गए विषयों और संस्था द्वारा ऐसी सभाओं में उपलब्ध कराई जानेवाली जानकारियों तथा दस्तावेजों की गोपनीयता और पेशेवर विश्वसनीयता बनाए रखने के लिये खुद को समर्पित करते हैं।

सातवीं बात, एन्डेसा और ट्रेड यूनियनें जो इस करारनामा पर हस्ताक्षर कर रहे हैं वे इसकी जानकारियाँ सभी कंपनीयों को, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में उजागर करेंगे जिन पर एन्डेसा का नियंत्रण है।

वर्तमान करारनामें के विषय बाहय रूप से प्रकाशित कोई भी जानकारी पक्षों द्वारा आपस में स्वीकृत की जाएँगी।

आठवी बात, कि, वर्तमान करारनामा 31 दिसंबर 2003 तक ही वैद्य रहेगा, जब तक कि इसका अवधि/वैद्यता दोनों पक्षों द्वारा रूप से बढ़ाने के लिये स्वीकृति न दी जाए।

उनकी इन सब बातों में स्वीकृति की गवाही में वे वर्तमान करारनामा की चार प्रतियां शीर्षक में दिए गए स्थान और समय में हस्ताक्षरित करते हैं।

एन्डेसा के लिये	रोडोल्फो मार्टिन विल्ला
एफआयए यूजीटी के लिये	जोसु फ्रेड ओड्रिओजोला रफाएल मिरांडा रोब्रेडो
एफएम सीसी ओओ के लिये	इग्नेशियो फर्नानडीज टोक्सो
आयसीईएम के लिये	फ्रेडरिक आर हिग्स